



2026:AHC:32580

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1077 सन् 2026

योगेश यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: समर्थ सिंह, संजीव कुमार यादव
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री समर्थ सिंह और राज्य के विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव को सुना।
2. इस न्यायालय ने 29.01.2026 को रिट याचिका पर विचार किया और निर्देश मांगा। निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं और परिशिष्ट-ए के रूप में रिकॉर्ड पर लिए गए हैं, जैसा कि दिनांक 10.02.2026 के आदेश में देखा गया है।
3. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए आत्मनिर्भर हैं और वह कोई और हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, इस प्रकार पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए चरण में निर्णय किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटर कॉलेज मेरठ का तृतीय श्रेणी-III कर्मचारी है। हालांकि सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा पारित दिनांक 13.01.2026 के आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता को माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ से माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली में स्थानांतरित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, 14.01.2026 को, प्रतिवादी संख्या 3/अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा एक राहत आदेश पारित किया गया।
5. दिनांक 13.1.2026 और 14.1.2026 के आदेशों पर सवाल उठाते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश प्रकृति में कलंकित है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को ग्यारह फाइलों को गुम करने के लिए जिम्मेदार पाया गया था और 18.09.2025 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर, उसे प्रथम दृष्टया कदाचार करने में शामिल पाया गया था। इसमें आगे निर्देश दिया गया है कि उन्हें संवेदनशील सीट पर तैनात नहीं किया जाए। सोमेश तिवारी बनाम सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ 2009 (2) एससीसी 592 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. इसके विपरीत, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया है, हालांकि दिनांक 13.1.2026 के आदेश में रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों के बारे में दोहराया गया है, जिसमें ग्यारह फाइलें गुम करने और उस संबंध में जांच करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, वह निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है कि सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

9. रिट याचिका में आक्षेपित दिनांक 13.01.2026 के आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है: -

"श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा इण्टर २४ प्रमाण पत्र अनुभाग की कार्यावधि में अनुभाग सेनाम संशोधन से संबंधित 11 पत्रावलियाँ दिनांक:- 20.09.2024 को प्राप्त की गयी। उक्त नाम संशोधन से संबंधित 11 पत्रावलियाँ श्री गुरवचन सिंह, मोहल्ला- थापरनगर, निकट- गुरुद्वारा, गली नं०-2 जनपद-मेरठ के दिनांक रहित पत्र सम्प्रति दिनांक 24.07.2025 को परिषद कार्यालय में यह उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया गया कि उक्त पत्रावलियों उसे थापरनगर, मेरठ की गली में प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत प्रकरण में अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ को अविहित पत्रांक: मा०शि०प०/नियोजन/533 दिनांक:- 31-07-2025 द्वारा संदर्भगत प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही सहित सम्बन्धित कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ ही उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रकरण की तथ्यात्मक आख्या मुख्यालय, प्रयागराज को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। तदोपरान्त अपर सचिव, मा०शि०प०, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अविहित पत्रांक: क्षेत्रीय कार्यालय/मे०/प्रबन्ध/320 दिनांक: 22-09- 2025 के साथ जाँच अधिकारी श्री रवीन्द्र पाल सिंह, उप सचिव (प्रशासन), मा०शि०प०, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ की जाँच आख्या दिनांक 18.09.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। उक्त जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रारम्भिक जाँच आख्या में आपको प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया है।

आप द्वारा इण्टर प्रमाण पत्र अनुभाग की कार्यावधि में दिनांक 20.09.2024 को प्राप्त हुए नाम संशोधन से संबंधित 11 पत्रावलियों पर प्रशासनिक अधिकारी के संशोधन हेतु अभिमत दिये जाने के उपरान्त लगभग 01 वर्ष तक अपने पास रखा जाना तथा लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त पत्रावलियों के सम्बन्ध में कोई संज्ञान नहीं लिया जाना एवं पत्रावलियों के गुम हो जाने सम्बन्धी जानकारी अधिकारियों को नहीं दिया जाना घोर आपत्तिजनक, स्वेच्छाचारिता का द्योतक होने के साथ-साथ परिषदीय कार्यप्रणाली के विपरीत है। आपका यह कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रतिकूल है आपके इस कृत्य से आम जनमानस में परिषद् कार्यालय की छवि धूमिल हुई है जिसके लिये आप दोषी हैं।

उपर्युक्तानुसार श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा किये गये कृत्यों एवं शासकीय कार्यों के प्रति बरती गई घोर लापरवाही / उदासीनता के दृष्टिगत निम्नवत आदेश प्रदान किये जाते हैं:-

1. श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक द्वारा किये गये कृत्यों एवं शासकीय कार्यों के प्रति बरती गई घोर लापरवाही / उदासीनता के दृष्टिगत प्रकरण में जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रारम्भिक जाँच

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आख्या के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के उपबन्धों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की विभागीय जाँच हेतु श्री स्कन्द शुक्ल, अपर सचिव (शोध), माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पदेन जाँच अधिकारी नामित किया जाता है।

2. श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:-1/ 2025/119/सामान्य / सैंतालीस-का-4-2025-1/3/96 दिनांक 06.05.2025 में निहित प्राविधानों के आलोक में शासन के पत्र संख्या:-2047 / पन्द्रह-2-2026 दिनांक 09.01.2026 द्वारा प्राप्त शासकीय अनुमति के अनुक्रम में प्रशासनिक आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली में स्थानान्तरण करते हुये आदेश निर्गमन की तिथि से स्वतः कार्यमुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3.. श्री योगेश यादव, वरिष्ठ सहायक को माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली के किसी भी महत्वपूर्ण/ संवेदनशील अनुभाग में कार्य करने हेतु कदापि पदस्थित न किया जाय।"

10. दिनांक 13.1.2026 के आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया ग्यारह फाइलों के गुम स्थान में शामिल पाया गया था और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था।

11. स्थानान्तरण आदेश में इस तरह के निष्कर्षों और आरोपों को शामिल करना स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता पर कलंक लगाता है। यह भी माना जाता है कि कोई नियमित विभागीय जांच नहीं की गई है, जिसके बाद अपराध का अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सके। सोमेश तिवारी (सुप्रा) में निर्धारित कानून के मद्देनजर, कथित कदाचार पर आधारित कलंकित टिप्पणियों वाले स्थानान्तरण के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

12. तदनुसार, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

13. सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा याचिकाकर्ता को मेरठ से बरेली स्थानान्तरित करने के लिए पारित दिनांक 13.01.2026 के आदेश के साथ-साथ अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ द्वारा पारित परिणामी राहत आदेश दिनांक 14.01.2026 को अपास्त किया जाता है।

14. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों को अलग करने से, यदि आवश्यक हो, तो सख्ती से प्रशासनिक आधार पर और कानून के अनुसार, या कानून के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से, प्रतिवादियों को हस्तांतरण का एक नया आदेश पारित करने से नहीं रोका जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 12, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"